

जिला हेल्थ शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

उप-मे.

प्रबंधक

एल0आर0एस0 एकेडमी देगभपुर माली नगीना ब्लाक-कोतवाली
उपमह-बिजनौर।

मार्गक.बेरि.क./मान्यता/9592-97/2017-18

दिनांक 01/11/2018

विशेष- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 10 के प्रावधानों के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 16 के उपबन्ध (4) के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परामर्शपूर्ण वार्ता/निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों में एल0आर0एस0 एकेडमी देगभपुर माली नगीना ब्लाक-कोतवाली (बिजनौर) को अंशेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अग्रिम मान्यता प्रदान करने की संभावना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के दूरा किए जाने के अधधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी निम्नलिखित नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संरक्षण करने के लिए कोई बाधक विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्याय 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाध्याय 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उक्त कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रत्येक वर्ष की कमसे कम वर्गों और सुवेधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरिकों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दृष्टि तालिका तैयार करेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी रीजिस्ट्रेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में लेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (5) अधिनियम की उपधारा के अनुसार निशुल्कता वस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
 - (6) अध्यापक की गती अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत तथा अधिकृत न्यूनतम आयु के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक/अध्यापिका इस अधिनियम के प्रावधानों पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं यदि वर्ग की अवधि की भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपने कार्यवाही का पालन करेंगे और
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी व्यापन किताबलिपों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पद्धतियों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संविधानों को पालन करेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-9170 वर्ग मीटर
 - (2) कुल निर्मित क्षेत्र-3684 वर्ग मीटर
 - (3) कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-7942 वर्ग मीटर
 - (4) कक्षाओं की संख्या-42
 - (5) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्षा-08
 - (6) बालक और दानिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
 - (7) धूम्रपान सुविधा-उपलब्ध है।
 - (8) भिड़-डे-मील पकड़ने के लिए रस्ते-योजना लागू नहीं है।
 - (9) बाधा रहित पहुँच-है।
 - (10) अध्ययन गठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-समय पर
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त उद्योग नहीं चलाई जाएगी।
 - 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास को प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
 - 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समक प्रभुता किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
 - 12 स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगठन या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 - 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। लेखा लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण को एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 - 14 अपने विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 09 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
 - 15 विद्यालय इसी विधि और कानून के अंतर्गत कार्य कर रहा है जो कानून द्वारा निर्धारित/नियमित शिक्षा अधिकार प्राप्त अभिभावक को और अनुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करना है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्षमता को पूरा करने के लिए जारी किए जाएं।
 - 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख

20/11/20

गोपनीय

जिला क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा

प्रमुख/

/2014-15

सहायक।

उपस्थिति निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला शिक्षा निदेशक (अधिसूचना) 30.08.20 शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

2- सचिव, एडमिशन शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

3- नगरपालिका शिक्षा निदेशक (अधिसूचना) द्वारा प्रेषित सूचनाएं।

4- जिला शिक्षा निदेशक (अधिसूचना) द्वारा प्रेषित सूचनाएं/विकास अधिकारी/जिला शिक्षा निदेशक द्वारा प्रेषित सूचनाएं/अधिकारी/अधिसूचना/विकास अधिकारी।

5- जिला शिक्षा निदेशक (अधिसूचना) द्वारा प्रेषित सूचनाएं/विकास अधिकारी/अधिसूचना/विकास अधिकारी।

जिला क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा